न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 233/2024

अनवान : –

1. नवीन कुमार डूडी पुत्र रामेश्वर लाल बूडी जाति जाट साकिन 86 बी कोणरी मार्ग रागदेव मदिंर के सामने वाली गली सुजानगढ़ जिला चुरू (राज.)।

– प्रार्थी

बनाम्

1. कमला पत्नी हंसराम जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर
2. महेन्द्र पुत्र हंसराम जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर
3. रणजीत पुत्र हंसराम जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर
4. हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा नोहर तहसील नोहर
5. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
7. उप पंजियक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 19/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खसरा नम्बर 54 की 17–06 बिधा भूमि का रावताराम पुत्र लिछूराम जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर खातेदार कास्तकार था।

रावताराम पुत्र लिछूराम (फोत) हो गया जिसके जायज वारीस दुलाराम, कालुराम, श्योकरण, मनफूल, रामेश्वरलाल, हंसराम पुत्रगण रावताराम एवं रेशमी पुत्री रावताराम कुल 7 वारीस हुए जिसमें दुलाराम, कालुराम, श्योकरण, मनफूल, रामेश्वरलाल, हंसराम पुत्रगण रावताराम फोत हो चुके है हंसराम पुत्र रावताराम के

जायज वारीस गैरसायल न. 1 ता 3 हैं एवं दुलाराम पुत्र रावताराम के जायज वारीस दावा में प्रतिवादी न. 4 ता 7 एवं प्रतापसिंह, बनवारीलाल व कृष्णकुमार पुत्रगण दुलाराम है एवं प्रतापसिंह बनवारीलाल व कृष्णकुमार पुत्रगण दुलाराम फोत हो गये प्रतापसिंह के जायज वारीस दावा में प्रतिवादी न. 8 वा 10 हैं बनवारीलाल के जायज वारीस दावा में प्रतिवादी न. 11 ता 14 हैं व कृष्णकुमार के जायज वारीस दाबा में प्रतिवादी न. 15 ता 19 हैं एवं कालुराम पुत्र रावताराम के जायज वारीस दावा में प्रतिवादी न. 20 ता 25 हैं एवं श्योकरण पुत्र रावताराम के जायज वारीस दावा में प्रतिवादी न. 26 ता 30 हैं एवं मनफूल पुत्र रावताराम के जायज वारीस दावा में प्रतिवादी न. 31 ता 38 हैं एवं रामेश्वालाल पुत्र रावताराम के जायज वारीस सायल एवं दावा में प्रतिवादी न. 40 वा 43 ही है। सायल एवं गैरसायलान एवं दावा में प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु खानदान परिवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:44:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के सदस्य है विवादित भूमि पैतृकि जदी जायदाद है जो रावताराम पुत्र लिछूराम को परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान होने के कारण अपने पिता के फोत होने पर विरास्तन प्राप्त हुई है जिसमें रावताराम पुत्र लिछूराम के (फोत) हो जाने पर उसके जायज वारीस दुलाराम, कालुराम, श्योकरण, मनफूल, रामेश्वरलाल, हंसराम पुत्रगण रावताराम एवं रेशमी पुत्री रावताराम सातो ब.हि. ब. 1/7. 1/7 हिस्सा के हकदार हुए। 6–यह कि दुलाराम, कालुराम, श्योकरण, मनफूल, रामेश्वरलाल, हंसराम पुत्रगण रावताराम फोत होने पर उनके वारीसान सायल एवं दावा में प्रतिवादी न. 40 ता 43 व. हि.ब. 1/7 हिस्सा के गैरसायल न. 1 ता 3 ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा दावा में प्रतिवादी न. 4 ता 7 ब.हि.ब. 4/49 हिस्सा दावा में प्रतिवादी न. 8 ता 10 ब.हि.व. 1/49 हिस्सा दावा में प्रतिवादी न. 11 ता 14 ब.हि.ब. 1/49 हिस्सा दावा में प्रतिवादी न. 15 ता 19 ब.हि.व. 1/49 हिस्सा दावा में प्रतिवादी न. 20 ता 25 ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा दावा में प्रतिवादी न. 26 ता 30 ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा दावा में प्रत्तिवादी न. 31 ता 38 ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा दावा में प्रतिवादी न. 39 का 1/7 हिस्सा के खातेदार कास्तकार हुए। सायल एवं गैरसायल एवं दावा में प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है विवादित भूमि रावताराम पुत्र लिछूराम को परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान होने के कारण अपने पिता के फोत होने पर विवादित भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है विवादित भूमि पैतृकि जदी जायदाद है जिसमें सायल एवं दावा में प्रतिवादी न. 40 ता 43 ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा के गैरसायल न. 1 ता 3 ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा दावा में प्रतिवादी न. 4 ता 7 ब.हि.ब. 4/49 हिस्सा दावा में प्रतिवादी न. 8 ता 10 ब.हि.ब. 1/49 हिस्सा दावा में प्रतिवादी न. 11 ता 14 ब.हि.ब. 1/49 हिस्सा दावा में प्रतिवादी

न. 15 ता 19 ब.हि.ब. 1/49 हिस्सा दावा में प्रतिवादी न. 20 ता 25 ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा दावा में प्रतिवादी न. 26 ता 30 ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा दावा में प्रतिवादी न. 31 ता 38 ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा दावा में प्रतिवादी न. 39 का 1/7 हक व हिस्सा बनता है लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण सायल के खातेदारी हकूक का हनन् होता है इसलिए सायल विवादित भुमि में अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में 1/35 हिस्सा भूमि अपने नाम अमल दरामद करवाने का अधिकारी है। विवादित भुमि पैतृक जद्वि जायदाद होने के कारण रावताराम पुत्र लिछूराम के फोत होने पर उसके वारिसान विवादित भूमि में 1/7. 1/7 हिस्सा के हकदार हुए लेकिन गैरसायल न. 1 ता 3 के पति, पिता हंसराम पुत्र रावताराम नें साजिसाना कार्यवाही कर गुपचुप तरिके से रावताराम पुत्र लिछूराम के नाम दर्ज रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खसरा नम्बर 54 की 17–06 बिघा भूमि की एक वसीयत दिनांक 17–5–1985 को उप पंजियक नोहर से तस्दीक करवाली जो पैतृक जद्वि जायदाद भूमि की होने के कारण सायल के हकूक के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन है। विवादित भूमि पैतृक जद्वि जायदाद होने के कारण रावताराम पुत्र लिघूराम को विवादित भूमि की वसीयत करवाने का कोई अधिकार नहीं था उसके बावजूद भी गैरसायल न. 1 ता 3 के पति, पिता हंसराम पुत्र रावताराम नें साजिसाना कार्यवाही कर गुपचुप तरिके से रावताराम पुत्र लिछूराम के नाम दर्ज रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खसरा नम्बर 54 [illegible] की एक वसीयत दिनांक 17–5–1985 को उप पंजियक नोहर से तस्दीक [illegible] भूमि की होने के कारण सायल के हकूक के मुकाबले शून्य [illegible] शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवा कर सायल विवादित भूमि में अपने 1/35 हिस्सा की [illegible]णा करवा कर अपने नाम अमल दरामद करवाने का अधिकारी है। हंसराम पुत्र रावताराम ने वसीयत दिनांक 17–5–1985 के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:44:06 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विवादित भूमि अपने नाम दर्ज करवाली है एवं हंसराम पुत्र रावताराम के फोत होने पर विवादित भूमि गैरसायल न. 1 ता 3 के नाम दर्ज हो गई है जो हक व हिस्सा से ज्यादा दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठाने के लिए विवादित भुमि को रहन चौय एवं मुतकिल करने की सरेआम धमकी देते है यदि गैरसायल न. 1 ता 3 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ति बाद में किसी प्रकार से सभंव नहीं है इसलिए सायल, गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ललानिया के ख0न0 54 की 4.3770 हैक्ट भूमि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उक्त भूमि रावताराम पुत्र लिच्छुराम की स्वयं अर्जित भूमि है। रावताराम के देहान्त के बाद यह भूमि रावताराम के वारिसान के नाम दर्ज हुई है। रावताराम ने अपने स्वयं अर्जित भूमि की वसीयत दिनांक 17.05.1985 को अपने पुत्र हंसराज के पक्ष में करवाई थी। जिसका उन्हें अधिकार था। वसीयत का परिवार के सभी लोगो को भलीभांती ज्ञान था तथा वसीयत को शुन्य व प्रभावहीन घोषित करवाने का अधिकार सिविल न्यायालय को है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि रोही मौजा ललानिया के ख0न0 54 की 4.3770 हैक्ट भूमि की वसीयत प्रतिवादी स0 1 ता 3 के पिता हंसराम ने गुपचुप तरीके से अपने पिता रावताराम से दिनांक 17.05.1985 को वसीयत करवा ली एवं हंसराम के देहान्त के बाद यह भूमि गैरसायल स0 1 ता 3 के नाम दर्ज है जबकि रावताराम को उक्त भूमि पैतृक भूमि होने के कारण गैरसायल स0 1 ता 3 के पिता हंसराम के पक्ष में वसीयत करने का कोई अधिकारी नही है था उक्त वसीयत सायल के हकों के मुकाबले प्रभावहीन है वर्तमान में गैरसायल स0 1 ता 3 के नाम उक्त भूमि अनुचित तरीके से दर्ज है जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि दिनांक 19.07.1985 को रावताराम द्वारा हंसराम के पक्ष में अपनी स्वयं अर्जित भूमि की वसीयत करवाई गई है जिसका उसे अधिकार था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:44:06 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में प्रस्तुत चित्रप्रति वसीयत दिनांक 17.05.1985 के अवलोकन से स्पष्ट है कि रावताराम द्वारा अपने पुत्र हंसराम के पक्ष में वसीयत करवाई गई थी उक्त वसीयत उप पंजीयक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नोहर द्वारा पंजीकृत है। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि रावताराम के पिता लिछुराम के नाम दर्ज थी लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही कियाग या है जिससे उक्त भूमि रावताराम के पूर्वजों के नाम दर्ज रही हो। प्रथम दृष्टया उक्त भूमि रावताराम के स्वयं अर्जित भूमि होन साबित है जिसकी वसीयत/दानपत्र/विक्रय पत्र हेतु रावताराम स्वतंत्र था एवं अप्रार्थी स0 1 ता 3 के पिता हंसराम के पक्ष में सन 1985 को वसीयत की गई है हंसराम के नाम भूमि जरिये वसीयत दर्ज हुई है एवं हंसराम के देहान्त के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई है तथा सायल द्वारा इतने वर्षो बाद ऐतराज किया गया है जो की न्यायोचित प्रतीत नही होता है, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 19.09.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/12/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:44:06 IST
Reason: SelfAttested